स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 293, दिनांक 30—09—2024</u>

अन्तर्राज्यीय तस्कर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य 256 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल 50 लाख रूपये) के साथ जनपद मीरजापुर से गिरफ्तार।

दिनांक 30—09—2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को 256 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रूपये) के साथ जनपद मीरजापुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—</u>

1— रिंकू राउत पुत्र भाष्कर राउत निवासी गंजम व थाना गंजम जनपद गंजम, ओडिसा। **(मुख्य सप्लायर)**
2— रमेश कुमार पुत्र कतवारू, निवासी सरैया, थाना जफराबाद, जनपद जौनुपर।
3— बृजेश गोंड पुत्र लल्लन, निवासी गड्डी सराय, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ।

<u>बरामदगीः</u>

1— 256 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 50लाख रूपये)
2— 01 अदद डीसीएम ट्रक नं0ः जी0जे0—19—वाई—1923 (वास्तविक नंबर) यूपी 82 एटी 1635 फर्जी नंबर)
3— 03 अदद मोबाईल फोन।
4— नगद रूपये 4000/—

<u>बरामदगी का दिनांक/स्थान—</u>

हिनौती माफी तिराहा के पास थाना क्षेत्र अदलहाट, जनपद मिर्जापुर। दिनांक 30—09—2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी को विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली कि कुछ तस्कर एक डीसीएम ट्रक में भारी मात्रा में गॉजा लेकर ओडिसा से अदलहाट जनपद मिर्जापुर होते हुये जनपद जौनपुर जाने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक श्री पुनीत परिहार एस0टी0एफ0 वाराणसी की टीम थाना अदलहाट पुलिस को साथ लेकर हिनौती माफी तिराहा के पास, थाना क्षेत्र अदलहाट, जनपद मिर्जापुर से 03 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त रिन्कू राउत ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो ओडिसा से गॉजा लाकर उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भारी मात्रा में सप्लाई करता है। दीपक चित्रकुण्डा (ओडिसा) का निवासी है, जो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के गॉजा तस्करों से

सम्पर्क करके उनको ओडिसा से गॉजा सप्लाई करता है। साथ ही गॉजा तस्करी के लिए ट्रक/डी0सी0एम0 में कैविटी बनवाकर एवं उक्त वाहनों के असली नम्बर प्लेट के स्थान पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उनको वाहन भी पैसा लेकर उपलब्ध कराता है। रिन्कू राउत उपरोक्त का पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के गॉजा तस्करों से सम्पर्क है। दीपक ने डीसीएम ट्रक नंबर GJ-19Y-1923 जो रंजन भाई पुत्र प्रभुल्ल भाई निवासी सारथी टॉउनशिप तंतीथैया सूरत गुजरात के नाम से रजिस्टर्ड है, इस पर फर्जी नंबर प्लेट UP-82AT-1635 लगवाकर इसमें गॉजा लोड कराकर रिन्कू को दिया था। जनपद जौनपुर तक का किराया रूपये 02 लाख रूपये तय था। यह गॉजा जनपद जौनपुर के कैलाश निवासी फत्तेगंज को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर में मु0अ0सं0 192/24 धारा 8/20एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 319/338/340बी0एन0एस0 व 207एम0वी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।